रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032025-261874 CG-DL-E-22032025-261874

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1344]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2025/फाल्गुन 30, 1946

No. 1344] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2025/PHALGUNA 30, 1946

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2025

का.आ. 1362(अ).—सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 5 के साथ पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकयों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अनुसरण में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत होने पर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 23 नवंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ 5041(अ) तारीख 23 नवंबर, 2023 को संशोधित करता है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, "फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई)" शब्दों से आरंभ होने वाले और "निर्देशों का पालन करेगी" शब्दों से समाप्त होने वाले पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"भारतीय भेषजी परिषद, केंद्रीयकृत आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली से भारतीय भेषजी परिषद द्वारा अनुमोदित भेषजी महाविद्यालय के पदधारियो , शिक्षकवर्ग और छात्रों की उपस्थिति के डाटा को ऑनलाइन प्राप्त कर सकेगी और आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकयों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, नियमों, विनियमों के उपबंधों या इसके तहत बनाए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या

1985 GI/2025 (1)

केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिकथित आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के संबंध में जारी निदेशों का पालन करेगी।"

[फा. सं. जेड-28020/86/2023-एएचएस]

वी. हेकाली झिमोमी, अपर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 23 नवंबर, 2023 अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5041(अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2025

S.O. 1362(E).—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 read with rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, the Ministry of Health and Family Welfare, having been authorised by the Central Government, hereby amends the notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 5041(E) dated the 23rd November, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 23rd November, 2023, namely:-

In the said notification, for the paragraph beginning with the words "Pharmacy Council of India (PCI) shall adhere" and ending with the words "Central Government from time to time", the following paragraph shall be substituted, namely:-

"Pharmacy Council of India may access the attendance data of officials, faculty and students of the Pharmacy Council of India-approved pharmacy colleges online from the centralised Aadhar Enabled Biometric Attendance System and shall adhere to the provisions of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, rules, regulations, or guidelines made thereunder and directions issued with respect to the use of Aadhaar authentication as laid down by the Unique Identification Authority of India or Central Government from time to time."

[F. No. Z-28020/86/2023-AHS]

V. HEKALI ZHIMOMI, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification no. S.O. 5041(E), dated the 23rd November, 2023.